अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1478(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 13.03.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 737 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने 'कैन सपोर्ट, कनक दुर्गा बस्ती विकास केन्द्र, सेक्टर 12, आर के पुरम, नई दिल्ली - 110022' द्वारा 'दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर) में कैंसर तथा अन्य सीमित जीवन हालात से झूझ रहे रोगियों एवं उनके परिवारों को घर पर संपूर्ण प्रशामक देखभाल की व्यवस्था' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में क्रम सं. 19 पर अधिसूचित किया था और जिसे दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 1082 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा, 'कैन सपोर्ट, कनक दुर्गा बस्ती विकास केन्द्र, सेक्टर 12, आर के पुरम, नई दिल्ली - 110022' द्वारा चलाई जा रही 'दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर) में कैंसर तथा अन्य सीमित जीवन हालात से झूझ रहे रोगियों एवं उनके परिवारों को घर पर संपूर्ण प्रशामक देखभाल की व्यवस्था' की परियोजना को, 4.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 132/2015/ फा. सं. वी.27015/1/2015-एस ओ(एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)